

नाही है।

4) नैतिक स्वतंत्रता (Moral liberty)

नैतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्ति की उस मानसिक स्थिति से है जिसमें वह अनूचित लोभ-लालच के विना अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करने की योग्यता रखता है।
कानून के विचार में व्यक्ति की विवेकपूर्ण इच्छा शक्ति ही उसकी वास्तविक स्वतंत्रता है।

8) सामाजिक स्वतंत्रता (Social liberty)

सामाजिक स्वतंत्रता सामाजिक समानता के व्यापक कीर्तनी मानी जाती है, मनुष्य के साथ जाति, वर्ग, लिंग, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव न किया जाना व समान व्यवहार करना सामाजिक स्वतंत्रता है।
हमारे संविधान में समता का अधिकार इसी स्वतंत्रता को पुरस्च करने के लिए दिया गया है। कानून के समक्ष समता व समान कानून संरक्षण प्राप्त है। यही सामाजिक स्वतंत्रता है।

9) राष्ट्रीय स्वतंत्रता (National liberty)

कौन सा राष्ट्र जब सम्पूर्ण राज्य बन जाता है तो यही राष्ट्रीय स्वतंत्रता का परिचायक है, अर्थात् वह अन्य देशों के आदेशाधीन से मुक्त हो जाता है। उपनिवेशवाद इसका सबसे बड़ा शत्रु है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति की अन्य स्वतंत्रताएँ गौण हैं।

10) संवैधानिक स्वतंत्रता (Constitutional liberty)

यह नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त की जाती है। संविधान ऐसी स्वतंत्रताओं को रक्षा की गारंटी देता है जिससे शासन भी कटौती नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है।

END

Kumari madhuri